

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 28/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 09 जुलाई, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निर्माणाखत तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसों के संबंध में उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग व कतव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.	नोटिसों का नाम एवं	दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै लिनियर टेक्नालजीस इंडिया प्रा. लि., B-167, फ्रीडम फ़ाईटर एंक्लेव, नेब सराय, नई दिल्ली-110068 और श्री प्रवीण कुमार सूद, निदेशक, मै लिनियर टेक्नालजीस इंडिया प्रा. लि., B-167, फ्रीडम फ़ाईटर एंक्लेव, नेब सराय, नई दिल्ली-110068	डीआरआई फा. सं. 23/26/2005-DZU दिनांक 19.08.2005, दिनांक 21/23.09.2005 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	भूतपूर्व आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), न्हावा शेवा, महाराष्ट्र. भूतपूर्व आयुक्त सीमाशुल्क (इम्पोर्ट और जनरल), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.
2.	मै इंडियन केबल नेट कंपनी लिमिटेड, EP-XI-4, Sec-V साल्ट लेक	डीआरआई फा. सं. DRI/BZU/S-IV/ Enq-29 (Int-Nil)/2018 दिनांक 10.06.2019	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (एयरपोर्ट और प्रशासन), कोलकाता एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कोलकाता.	अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय,

<p>इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, 4<sup>थ</sup> तल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700091,</p> <p>श्री अतुल कुमार सिंह, वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस और अकाउंट्स, मै इंडियन केबल नेट कंपनी लिमिटेड, EP-XI-4, Sec-V साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, 4<sup>थ</sup> तल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700091 और</p> <p>श्री सुबराज्योति प्रामाणिक, वाइस प्रेसिडेंट-टेक्नालजी, मै इंडियन केबल नेट कंपनी लिमिटेड, EP-XI-4, Sec-V साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, 4<sup>थ</sup> तल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700091.</p>	<p>(SCN No. 32/2019)</p>	<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (पोट), कस्टम हाउस, कोलकाता</p>	<p>दिल्ली.</p>
<p>3. मै डी-लैंक (इंडिया) लिमिटेड, प्लॉट सं. U2B, सीएमएम वेयरहाउस, वेरना इंडस्ट्रियल इस्टेट, वेरना, गोवा-403722</p>	<p>फा. सं. DRI/MZU/GRU/ Int/88/2018 दिनांक 10.05.2019.</p>	<p>आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, मरमगोआ हाबार, वास्को, गोवा</p> <p>आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p>	<p>अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई (तालिका के क्रम सं. 3 और 4 के लिय).</p>
<p>4. मै डी-लैंक (इंडिया) लिमिटेड, प्लॉट सं. U2B, सीएमएम वेयरहाउस, वेरना इंडस्ट्रियल इस्टेट, वेरना, गोवा-403722</p>	<p>फा. सं. DRI/MZU/ GRU/Int/88/2018/PP दिनांक 13.06.2019.</p>	<p>आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, मरमगोआ, वास्को, गोवा</p> <p>आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p>	
<p>5. श्री किरण मध्यान, प्रोपराइटर,</p>	<p>फा. सं. DRI/MZU/ F/Int- 159/2017</p>	<p>आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I), मुंबई जोन-I, न्यू कस्टम हाउस,</p>	<p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-I),</p>

	<p>मै किमाया ग्लोबल सॉलिंग, 615/B, धामजी शामजी कॉर्पोरेट स्क्वेयर, घाटकोपर-अंधेरा लिंक रोड, मेलवले इस्टेट, लक्ष्मी नगर, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई-400075</p>	<p>दिनांक 22.02.2019, दिनांक 15.03.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.</p>	<p>बललाड इस्टेट, मुंबई के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क.</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-I), मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क.</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-III) (एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स-आयात), मुंबई जॉन-III, सहर, अंधेरा (पूर्व), मुंबई के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क</p>	<p>मुंबई जोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क.</p>
6.	<p>मै गोडरेज़ इंडिया लिमिटेड, फैक्टरी: बुजओजिनगर, प्लॉट सं. 3, विल्लेज कनोरओ, तालुक-वर्लालिया, भरुच-393135</p> <p>पंजीकृत कार्यालय: केमिकल डिविजन, 2<sup>ग</sup> तल, गोडरेज़ वन बिल्डिंग, परोजशानगर, ईस्टन एक्सप्रेस हाइवे, विक्रोली, मुंबई-400079 और 5 अन्य.</p>	<p>फा. सं. DRI/AZU/GI-02/Enq-3(Int-14/2017)/2018 दिनांक 21.05.2019.</p>	<p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p>	<p>अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.</p>
7.	<p>मै जैन &amp; सनस, 22, शांति सदन कॉम्प्लेक्स, बारह जी का गला, गंगोरी बाज़ार, छोटा चॉपर, जयपुर-302003 अपने प्रोपराइटर श्री पंकज जैन, म. सं. C-6,</p>	<p>फा. सं. DRI/DZU/JRU/19/Enq-24/Int-1/2016/Pt.I दिनांक 29.05.2019.</p>	<p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, दिल्ली.</p> <p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, मुँदरा कच्छ, अदानी पोर्ट, मुँदरा के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क.</p>	<p>संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, दिल्ली.</p>

इंद्रपुरा कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर के जरिये.			
---	--	--	--

[ . . . DRI/HQ-CI/50D/CAA-23/2019-CI]

( श्री )  
f

**प्रतिरूप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित**

1. तालिका के स्तंभ (5) म वर्णित समान न्यायनिणयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निणयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) म वर्णित न्यायनिणयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-अहमदाबाद, बंगलोर, दिल्ली और मुंबई को इस निवेदन के साथ कि वे उनके जोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियां को समान न्याय निणयनन अधिकारी का नियुक्ति के बारे मे सूचित कर। यह भी निवेदन है कि वे केस फाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजो (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस का अभिस्वीकृत (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निणयन अधिकारी को भेज दे